राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।

समक्षः मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः।

अपील संख्या S06/C/0223/2024

पंजीकरण सं0 C-20240501919

श्री निर्दोष कुमार...शिकायतकर्ता।

बनाम

विपक्षी/जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खैर, जनपद अलीगढ़ ... .प्रतिवादी।

आदेश

शिकायती प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार कराये जाने पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित है। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री रामगोपाल, कार्यालय सहायक, नगर पालिका परिषद, खैर, अलीगढ़ एवं श्री गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित आए।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता को उसके आवेदन धारा 6(1) अन्तर्गत विपक्षी/जनसूचना अधिकारी के कार्यालय पत्रांक 421(1)/न0पा0परि0खैर/2025–26 दिनांक 21.04.2025 सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गयी। शिकायतकर्ता ने यह सूचना चाही थी कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार चेयरमैन किसी सभासद/सदस्य को तीन बोर्ड बैठको के लिए निलबिंत करने अथवा अग्रिम तीन बोर्ड बैठकों में भाग लेने पर रोक लगायी जा सकती है। यदि ऐसा कोई नियम/शासनादेश हो तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाए।

इस मामले में स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी को जो सूचना दी गयी वो बोर्ड बैठक में अनुपस्थित होने पर निलम्बित सम्बन्धी है, जबकि अपीलार्थी को प्रश्न चेयरमैन द्वारा किसी सभासद/सदस्य को तीन बोर्ड बैठकों के लिए निलम्बित करने अथवा अग्रिम तीन बोर्ड बैठक में भाग लेने हेतु रोक लगाने सम्बन्धी है। विषयवस्तु के सार के बारे में शिकायतकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या चेयरमैन किसी सभासद/सदस्य को निलम्बित करने या बोर्ड में अग्रिम बैठक में भाग लेने से रोक लगा सकता है अथवा नही?

ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी/जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सम्यक रूप से सूचना देना नही चाहता है। इसलिए विपक्षी/जनसूचना अधिकारी/नगर पालिका परिषद, खैर, जनपद अलीगढ़ को आर0टी0आई0 एक्ट–2005 की धारा 6(1) के आवेदन को सम्यक रूप से पढकर उचित जानकारी देने हेतु निर्देशित किया जाता है। पत्रावली अग्रित तिथि 05.08.2025 नियत की जाती है। अपील वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।

(स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः)
राज्य सूचना आयुक्त
11.06.2025